उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 17

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

क. वसूलियॉ और प्राप्तियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	27.59	65724.58	65752.17	42.87	61484.81	61527.68	30.23	73714.36	73744.59	74.20	76141.15	76215.35
	पूंजी	***36.82***	*5001.19*	*5038.01*	*77.13*	*1.20*	*78.33*	*63.25*	*...*	*63.25*	*51.80*	*0.01*	*51.81*
	जोड़	**64.41**	**70725.77**	**70790.18**	**120.00**	**61486.01**	**61606.01**	**93.48**	**73714.36**	**73807.84**	**126.00**	**76141.16**	**76267.16**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	...	32.15	32.15	...	38.04	38.04	...	35.67	35.67	...	38.15	38.15
खाद्य, भंडारण और भांडागारण													
2. खाद्य सब्सिडी	2408	...	63843.79	63843.79	...	60572.98	60572.98	...	72823.00	72823.00	...	75000.00	75000.00
3. चीनी के बफर स्टाक के अनुरक्षण पर सब्सिडी	2408	...	88.00	88.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	17.00	17.00
4. चीनी के निर्यात लदान हेतु चीनी मिलों को आंतरिक परिवहन एवं भाड़ा शुल्क की प्रतिपूर्ति	2408	...	146.81	146.81	...	50.00	50.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00
5. सहकारी चीनी मिलों को नाबार्ड के जरिए ब्याज सहायता	2408	...	31.60	31.60	...	30.00	30.00	...	35.01	35.01	...	30.50	30.50
6. चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना 2007	2408	...	538.25	538.25	...	80.59	80.59	...	46.74	46.74	...	51.73	51.73
7. भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित उर्वरकों के हैंडलिंग में कमी की प्रतिपूर्ति	2408	...	...	...	...	0.10	0.10	...	...	...	...	0.01	0.01
8. खाद्य तेलों के आयात से संबद्ध सब्सिडी	2408	...	512.73	512.73	...	366.42	366.42	...	366.42	366.42	...	615.09	615.09
9. चीनी उद्योग के विकास से संबद्ध अन्य व्यय	2408	...	26.25	26.25	...	28.30	28.30	...	27.30	27.30	...	22.32	22.32
10. चीनी विकास निधि													
10.01 को अंतरण	2408	...	1050.00	1050.00	...	400.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	400.00
10.02 से	2408	...	-574.83	-574.83	...	-175.31	-175.31	...	-129.57	-129.57	...	-94.50	-94.50
	6860	...	-893.04	-893.04	...	-550.00	-550.00	...	-550.00	-550.00	...	-600.00	-600.00
	जोड़	*...*	*-1467.87*	*-1467.87*	*...*	*-725.31*	*-725.31*	*...*	*-679.57*	*-679.57*	*...*	*-694.50*	*-694.50*
	कुल	*...*	*-417.87*	*-417.87*	*...*	*-325.31*	*-325.31*	*...*	*-279.57*	*-279.57*	*...*	*-294.50*	*-294.50*
11. खाद्य , भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम	2408	11.09	28.71	39.80	15.05	42.35	57.40	4.25	33.54	37.79	8.65	34.43	43.08
	4408	1.82	...	1.82	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	0.30	...	0.30
	जोड़	*12.91*	*28.71*	*41.62*	*16.35*	*42.35*	*58.70*	*5.55*	*33.54*	*39.09*	*8.95*	*34.43*	*43.38*
12. भारतीय खाद्य निगम के अर्थोपाय अग्रिम (एफसी आई)													
12.01 अर्थोपाय अग्रिम	6408	...	15000.00	15000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
12.02 घटाइए अदायगिया	6408	...	-15000.00	-15000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00
	कुल	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
13. अधिप्राप्ति के लिए अल्पावधि ऋण-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत एफसीआई के कार्यकलाप	6408	...	5000.00	5000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-खाद्य, भंडारण और भांडागारण		**12.91**	**69798.27**	**69811.18**	**16.35**	**60895.43**	**60911.78**	**5.55**	**73127.44**	**73132.99**	**8.95**	**75501.58**	**75510.53**
नागरिक आपूर्ति													
14. ग्रामीण अनाज बैंक	3456	12.96	...	12.96	9.00	...	9.00	7.61	...	7.61	7.20	...	7.20
15. खाद्यान्न प्रबंधन का विकास, मानीटरिंग और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	3456	3.15	...	3.15	5.10	...	5.10	2.22	...	2.22	1.65	...	1.65
	3601	0.73	...	0.73	0.65	...	0.65	1.70	...	1.70	28.70	...	28.70
	3602	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.60	...	0.60
	जोड़	*3.88*	*...*	*3.88*	*5.76*	*...*	*5.76*	*3.92*	*...*	*3.92*	*30.95*	*...*	*30.95*
16. नागरिक आपूर्ति की अन्य स्कीमें	3456	...	1.12	1.12	...	1.31	1.31	...	1.23	1.23	...	1.40	1.40
17. खाद्य तेलों के व्यापार कार्य में एसटीसी के नुकसान की प्रतिपूर्ति	3456	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-नागरिक आपूर्ति		**16.84**	**1.12**	**17.96**	**14.76**	**1.32**	**16.08**	**11.53**	**1.24**	**12.77**	**38.15**	**1.41**	**39.56**
उपभोक्ता उद्योग													
18. सरकारी उद्यमों में निवेश	4408	35.00	...	35.00	15.00	...	15.00	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00
19. खाद्यान्न प्रबंधन में विकास अनुवीक्षण और अनुसंधान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	4408	...	...	...	0.89	...	0.89	0.01	...	0.01	...	...	...
20. उपभोक्ता उद्योग	2852	...	...	...	...	0.02	0.02	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
21. चीनी कारखानों का सुधार/ आधुनिकीकरण	6860	...	285.11	285.11	...	200.00	200.00	...	125.00	125.00	...	100.00	100.00
22. गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	59.92	59.92	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	75.00	75.00
23. बगैस आधारित-सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	450.00	450.00	...	200.00	200.00	...	275.00	275.00	...	350.00	350.00
24. एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथनाल के उत्पादन के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	98.00	98.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	75.00	75.00
जोड़-उपभोक्ता उद्योग		**35.00**	**893.03**	**928.03**	**15.89**	**550.02**	**565.91**	**2.01**	**550.01**	**552.02**	**4.00**	**600.01**	**604.01**
25. हिन्दुस्तान वेजिटेबल्स आयल कारपोरेशन को ऋण	6860	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	...	...	...	0.01	0.01
26. गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करना	2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
27. उचित मूल्य की दुकान और भांडागारण निर्माण	2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
28. राष्ट्रीय खाद्य आयोग और राज्य खाद्य आयोगों की स्थापना	2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
	4408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.50	...	1.50

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*2.00*	*...*	*2.00*
29. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	13.06	...	13.06	14.45	...	14.45	20.90	...	20.90
	4552	...	...	...	59.94	...	59.94	59.94	...	59.94	46.00	...	46.00
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*73.00*	*...*	*73.00*	*74.39*	*...*	*74.39*	*66.90*	*...*	*66.90*
30. वास्तविक वसूलियाँ	3601	-0.34	...	-0.34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***64.41***	***70725.77***	***70790.18***	***120.00***	***61486.01***	***61606.01***	***93.48***	***73714.36***	***73807.84***	***126.00***	***76141.16***	***76267.16***
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
18.01 भारतीय खाद्य निगम	12408	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00
18.02 केंद्रीय भांडागारण निगम	12408	...	65.00	65.00	...	77.70	77.70	...	137.23	137.23	...	177.86	177.86
जोड़		**10.00**	**65.00**	**75.00**	**15.00**	**77.70**	**92.70**	**2.00**	**137.23**	**139.23**	**4.00**	**177.86**	**181.86**
ग. योजना परिव्यय													
1. खाद्य, भंडारण तथा भांडागारण	12408	47.57	65.00	112.57	32.24	77.70	109.94	7.56	137.23	144.79	20.95	177.86	198.81
2. नागरिक आपूर्ति	13456	16.84	...	16.84	14.76	...	14.76	11.53	...	11.53	38.15	...	38.15
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	73.00	...	73.00	74.39	...	74.39	66.90	...	66.90
जोड़		**64.41**	**65.00**	**129.41**	**120.00**	**77.70**	**197.70**	**93.48**	**137.23**	**230.71**	**126.00**	**177.86**	**303.86**

1. **सचिवालय व्यय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **खाद्य राजसहायता:** खाद्य राजसहायता की मदें निम्न हैं:-

(क) भारतीय खाद्य निगम और अन्यों को खाद्यान्नों के कारोबार पर राजसहायता निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति के लिए दी जाती है (i) खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं को देने हेतु उनके निर्गम मूल्यों के बीच का अन्तर, और (ii) बफर स्टाक/ रणनीतिक रिजर्व को रखने की लागत।

(ख) इसी प्रकार कुछ राज्य सरकारों को भी राजसहायता का भुगतान किया जाता है, जो खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद कर रहे हैं।

(ग) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम और अन्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी का वितरण करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा वहन की गई लागत की प्रतिपूर्ति करने के बदले राजसहायता का भुगतान किया जाता है।

(घ) 1974-75 के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्यों का पुनर्निर्धारण करने से बने दावों को तय करने के लिए देय राजसहायता।

(ड.) एसयू (टीओएम) अधिनियम, 1978 के अधीन अननुधिसूचित चीनी मिलों के लिए राजसहायता।

(च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड सुपुर्दगी लागू करने के संबंध में पायलट स्कीम का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों हेतु राजसहायता।

3. **चीनी के सुरक्षित भंडार के लिए राजसहायता:** यह प्रावधान चीनी के सुरक्षित भंडार बनाए रखने के लिए चीनी कारखानों के बकाया दावों का निपटान करने के लिए है जिसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाना है।

4. **आंतरिक ढुलाई तथा भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति:** यह प्रावधान चीनी कारखानों को निर्यात शिपमेंट पर आंतरिक ढुलाई तथा भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु बकाया दावों के भुगतान के लिए किया गया है। इसकी पूर्ति चीनी विकास निधि से की जानी है।

5. **सहकारी और शहरी क्षेत्र के सहकारी बैंको को ब्याज सहायता:** यह प्रावधान चीनी मिलों के वित्तपोषण के सम्बन्ध में सहकारी और शहरी क्षेत्र के सहकारी बैंको को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के जरिए ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए है।

6. **चीनी उपक्रमों का वित्तपोषण, 2007:** यह प्रावधान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों तथा सहकारी बैकों को चीनी मिलों का वित्तपोषण करने के लिए चार वर्ष की अवधि जिसमें दो वर्ष की स्थगन अवधि शामिल है, ब्याज सहायता देने के लिए यह सहायता 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक सीमित है जिसमें से 5% बजट प्रावधान से तथा शेष 7% चीनी विकास निधि से पूरा किया जाएगा।

7. **प्रतिपूर्ति - आयातित उर्वरकों के प्रबन्धन में कमि:** यह प्रावधान आयातित उर्वरकों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम को कमियों के लिए राशियों की प्रतिपूर्ति हेतु है।

8. **खाद्य तेल राजसहायता:** यह प्रावधान विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्य तेल का आयात करने की योजना के तहत खाद्य तेलों का आयात करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को अदा की जाने वाली खाद्य तेल राजसहायता का भुगतान करने के लिए है।

9. **अन्य व्यय - चीनी विकास निधि:** यह व्यय एनसीडीसी और आईएफसीआई को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है और इसमें चीनी मिलों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान भी शामिल है।

10. **चीनी विकास निधि को अंतरण:** चीनी उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भारत की समेकित निधि में जमा करने के लिए 1 मार्च, 2008 से 24 रुपए प्रति क्विंटल चीनी उत्पादन उपकर लगाने की व्यवस्था है। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में एकत्रित उपकर में से इसकी एकत्रण लागत घटाकर बची राशि को चीनी विकास निधि में जमा कराने की व्यवस्थाब है जिसका उपयोग ऋण अनुदान देकर और चीनी उद्योग के विकास से संबंधित अन्य खर्च पूरे करके चीनी उद्योग के विकास और उससे संबंधित मामलों अथवा उससे संबंधित प्रासंगिक खर्चे को पूरा करने के लिए किया जाना है। भारतीय लोक लेखा के अंतर्गत चीनी विकास निधि को भारत की समेकित निधि से उपर्युक्त विधि से आकलित राशि अंतरित करने और निधि से आहरण की व्यवस्था है।

11. **अन्य योजनाए - खाद्य, भंडारण और भंडागरण:** इसमें खाद्यान्नों की खरीद पर अवशिष्ट व्यय, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन, निर्देश और प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद/अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद) और अन्य योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

12. **भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध में अपनी नकद धन की प्रवाह आवश्यकताओं की पूर्ति, बफर स्टॉक आवश्यकताओं और खाद्यान्न हेंडलिंग को अर्थोपाय अग्रिम हेतु है। इस अग्रिम को उसी वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया जाएगा।

14. **ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम:** यह प्रावधान अनुसूचित जाति तथा इससे इतर लोगों के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों के लिए ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम को लागू करने के लिए है।

15. **कम्प्यूटरीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:** यह प्रावधान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं जैसे प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) हेतु रखे गए खाद्यान्नों के लीकेज/विपथन को रोकने, टी.पी.डी.एस. लाभभोगियों में जागरूकता लाने के लिए है।

16. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता समिति:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अधीन गठित केन्द्रीय सतर्कता समिति के वेतन और अन्ये शीर्षो के अंतर्गत होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु है।

17. **राज्य व्यापार निगम को हुई हानि की क्षतिपूर्ति:** यह प्रावधान राज्य व्यापार निगम को सरकारी खाते में आयातित खाद्य तेल के संबंध में उसे हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए है।

18. **सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में निवेश:** यह प्रावधान मुख्यत: भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता कार्य, जो प्रगति पर है, को पूरा करने के लिए अपेक्षित परिव्ययों को दर्शाता है।

19. **खाद्यान्न प्रबंधन हेतु एकीकृत सूचना प्रणाली:** यह प्रावधान खाद्यान्न प्रबंधन हेतु एकीकृत सूचना प्रणाली के प्रचालन से संबंधित है, जो भारतीय खाद्य निगम के लिए है।

20. **अमृतसर तेल कारखाना अधिनियम के तहत भुगतान:** इसमें अमृतसर तेल कारखाना अधिनियम की धारा 14 के तहत भुगतान आयुक्त को अवशिष्ट भुगतान, यदि कोई हो, करने का प्रावधान शामिल है।

21. **चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए ऋण:** यह व्यय चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए रियायती ऋण देने के लिए है और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

22. **गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण:** यह प्रावधान गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने के लिए है और इसकी पूर्ति चीनी विकास निधि से की जाती है।

23. **खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने हेतु हैं और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

24. **एनहाइड्रस अल्कोहल या इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने के लिए किया गया है और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

25. **हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड को ऋण:** यह प्रावधान संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड को ऋण देने हेतु है।

26. **गुण नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण:** यह प्रावधान खाद्य श्रृंखला और खाद्यान्नों की गुणवत्ता विनिर्देशन में लगे कर्मचारियों के गुणवत्ता कौशल को मजबूत बनाने से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।

27. **उचित दर दुकानों सह गोदामों का निर्माण:** यह प्रावधान उचित दर दुकानों सह गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

28. **राष्ट्रीय खाद्य आयोग और राज्य खाद्य आयोगों की स्थापना:** यह प्रावधान भवन निर्माण, भवन से इतर परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण और कर्मचारियों के वेतन के लिए है।

29. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं सिक्किम के लिए स्कीम:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।